न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 21/2023
किस्म :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 01.02.2023
निर्णय दिनांक: 25.02.2026

अनवान

1– लाली पुत्री अर्जुनलाल पत्नि भुरालाल जाति माली, निवासी पनौतिया तहसील रेलमगरा

प्रार्थीया

बनाम

1– कमलेश पुत्र प्रेम जी जाति रावल, निवासी पनौतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2– रूपेश पुत्र प्रेम जी जाति रावल, निवासी पनौतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3– सुमित्रा पुत्री प्रेम जी जाति रावल, पनौतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4– सीता पत्नि प्रेम जी जाति रावल, पनौतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काशतकारी अधिनियम

वादी अधिवक्ता– नवलसिंह राणावत
प्रतिवादी अधिवक्ता– चावण्डसिंह शक्तावत

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पनौतिया, पटवार हल्का पनौतिया, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सीमा में प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की वर्तमान खाता संख्या 374 की आराजी संख्या 295 रकबा 0.2023 हेक्टेयर आराजी संख्या 297 रकबा 0.1538 हेक्टेयर, आराजी संख्या 298 रकबा 0.1700 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमिया स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 297 की पश्चिमी पाली एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 286 एवं आराजी संख्या 1192/286 की पुर्वी पाली से पश्चिमी पाली से रास्ते तक आराजी संख्या 288, 287 से सटमा भूमि को प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग लेता चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी रास्ते के आलामात होकर मौके पर प्रार्थीया ने तारबन्दी व लकडी की फाटक लगा रखी है जो आम रास्ते की ओर खुलती है उक्त फाटक को विपक्षीगण ने बंद कर रखा है। यह कि प्रार्थीया अपनी आराजी संख्या 295, 297, 298 में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर, आदि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु आराजी संख्या 297 की पश्चिमी पाली एवं आराजी संख्या 286 की पुर्वी पाली से दक्षिण की ओर स्थित आराजीयात से सटमा पाली के सहारे पश्चिमी पाली से होते हुए मुख्य रास्ते तक रास्ते में प्रवेश हेतु प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता है। तथा उक्त रास्ते का प्रार्थीया उपयोग उपभोग कर हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर, आदि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाती है जो अपने पुर्वजो के समय से ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर, निर्वध्न रूप से साधिकार पुर्वक करती चली आ रही है लेकिन आराजी संख्या 286

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

[illegible]

[illegible]

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया को रास्ता अपनी आराजी संख्या 295, 297, 298, में हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर ले जाने लाने के लिये आराजी संख्या 286 की पूर्वी पाली से उक्त आराजी से सटमा दक्षिण दिशा की आराजीयात से सटमा पाली से होते हुए आराजी संख्या 1192/286 से होते हुए पश्चिमी दिशा की पाली से सटमा रास्ते तक 15 फीट चौडाई सम्पुर्ण लम्बाई का रास्ता प्रार्थीया की आराजी संख्या 297 की पश्चिमी पाली के प्रारम्भ तक रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात 286 व 1192/286 से दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। उक्त रास्ते कि प्रतिफल राशि नियमानुसार प्रार्थी अदा करने को तैयार है। पश्चात रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में भी इन्द्राज कराया जावे। कि उक्त रास्ते के एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिफल नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थीया अदाकरने को तैयार है एवं प्रार्थीया द्वारा प्रतिकर अदाकरने के पश्चात रास्ते को राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शा ट्रेश में भी इन्द्राज कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए विपक्षीगण की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां ग्राम पनोतिया में स्थित होना स्वीकार है किन्तु आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ते के संदर्भ में कोई विधिक प्रावधान नही है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आदेश वर्णित नही है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र पोषणीय योग्य है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 के विवरण में जिस रूप में वर्णित किया गया है। उस रूप में विपक्षीगण की भूमिया स्थित होना स्वीकार है। शेष विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है, विपक्षीगण की भूमियों में प्रार्थीगण का कोई रास्ता स्थित नही है न कभी प्रार्थीया के द्वारा रास्ते के रूप में विपक्षी की भूमिया उपयोग में ली न ही रास्ते के रूप में कोई चिन्ह मौके पर स्थित है प्रार्थीया की मौके पर कोई तार बंदी है प्रार्थीया द्वारा रास्ते के सबध में सारे तथ्य मिथ्या वर्णित किये गये है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया के आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि के रूप में फसल बोने, फसल काटके ले जाने के लिए वैल्पिक रास्ता उपलब्ध है विपक्षीगण की आराजी संख्या 286 की पुर्वी पाली से दक्षिण की ओर स्थित भूमि से सटमा पाली के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर कोई रास्ता स्थित नही है न ही प्रार्थीया का आवश्यकता जनित रास्ता है प्रार्थीया के जाति के व्यक्तियों, परिवार के व्यक्तियों की भूमियों में होकर रास्ता सदैव से चला आ रहा है उसी रास्ते से प्रार्थीया व अन्य खातेदार आ रहे है। प्रार्थीया के अनुसार दिनांक 09.01.2023 को रास्ता रोक दिया गया तब प्रार्थीया के द्वारा फसलो की पिलाई, फसलो की कटाई, अनाज, भुसा, कहां से होकर लेकर गया, क्या प्रार्थीया का अनाज व भुसा खेत में ही पडा हुआ है क्या प्रार्थीया के द्वारा वर्तमान में खेतो की हंकाई नही की गई, फसल नही बोई गई, यह तथ्य प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र के वेग मिथ्या तथ्यों का खण्डनात्मक तथ्य है जो कि प्रार्थीया व उसके सभी पडोसी खातेदारो के द्वारा फसल का उत्पादन 15 अप्रेल के आस पास घर लेकर चला गया, खेतो की ट्रेक्टर से हंकाई कर डाली, वर्षा होने पर मक्की भी वैकल्पिक रास्ते से प्रार्थीया द्वारा बोई जा चुकी है प्रार्थीया के खेतो में मक्की की फसल खडी है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का वैकल्पिक रास्ते के बारे में तात्विक तथ्यों को छुपाया गया है, प्रार्थीया के वैकल्पिक रास्ते के बारे में तात्विक तथ्यों को छुपाया गया है, प्रार्थीया के वैकल्पिक रास्ते के बारे में

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

विपक्षीगण के द्वारा विशेष जवाब में तथ्य वर्णित किये जायेंगे, प्रार्थीया के द्वारा विपक्षीगण की आराजी में कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग नहीं किया है प्रार्थीया के सहखातेदारों का कुआं (आ.सा.) संख्या 296 स्थित है आ.सा. संख्या 296 के सहखातेदार बाबूलाल भगवानलाल व मोहन है इनकी भूमियों में होकर प्रार्थीया का रास्ता स्थित है, प्रार्थीया की खाते की आराजी संख्या 297 व 295 स्थित है प्रार्थीया की खाते की आराजी संख्या 297 व 295 स्थित है जिनमें आराजी संख्या 299, 300 की खातेदार भी आराजी संख्या 295 व 297 में होकर 296 में पहुंचती है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के आराजी संख्या 299 व 300 में होकर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रही है। जो आगे आराजी संख्या 263 में प्रवेश करते हुए 263 की पूर्वी पाली के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर होते हुए आ.सा. संख्या 260 की भूमि में होते हुए मौके पर आ.सा. संख्या 208 को मिट्टी से भरकर समतल भूमि के रूप में बना लिया गया। जिसमें 260 से पूर्व पश्चिम की ओर अग्रसर होता हुआ आराजी संख्या 258 की दक्षिणी पाली के सहारे आराजी संख्या 254 में प्रविष्ट करता है। 254 से आबादी की आराजी संख्या 1179/315 में सीसी सड़क के रास्ते उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर होता हुआ आराजी संख्या 1165/315 में प्रविष्ट करता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर होता हुआ आबादी की आराजी संख्या 1166/315 में स्थित सीसी सड़क से रास्ते की आराजी संख्या 216 व 245 के सहारे आबादी में रास्ता स्थित है आराजी संख्या 299, 254, 256, 258, 259, 260 के बीच खातेदार है तथा 254 से लेकर 260 तक के खातेदार है जो 263 में होकर आराजी संख्या 300 में होकर आराजी संख्या 301 में होकर आराजी संख्या 312 तक रास्ता विद्यमान है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थनापत्र की कालम संख्या 04 के विवरण में विपक्षीगण की आराजी संख्या 286 व 1192/286 में प्रार्थीया का कोई कदमी रास्ता स्थित नहीं था न है बल्कि विपक्षीगण के द्वारा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का तथ्य मिथ्या वर्णित किया गया है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आवश्यकता जनित सुखाधिकार पर आधारित है। जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां निकटतम भूमि से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थीया के कुए के खातेदार विपक्षीगण के द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां निकटतम भूमि से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थीया के कुए के सहखातेदार विपक्षीगण के द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक रास्ते से ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां निकटतम रास्ता नहीं दिया जा सकता है।यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 05 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया के आराजी सं. 296 के सहखातेदार कको स्वयं की खाते की भूमि 299, 300 भी उपरोक्त विपक्षीगण के द्वारा सुझाये गये रास्ते में आ जा रहे है इसी कारण प्रार्थीया के द्वारा आराजी सं. 299, 300 के खातेदार कहां से आ जा रहे है के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 06 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आवश्यकता जनित रास्ते पर निर्भर न होकर वैकल्पिक रास्ते से ही प्रार्थीया उपयोग उपभोग कर रही है वैकल्पिक रास्ते से गेहूं की फसल बोई गई जिसके फोटो विपक्षीगण के द्वारा पेश किये जा रहे है प्रार्थीया का यह कथन मिथ्या व मनगढ़ंत वर्णित किया गया है कि प्रार्थीया के खेत खाली पड़े है बल्कि रबी की फसल में प्रार्थीया ने गेहूं बोया एवं खरीफ की फसल में मक्की बोई गई, यदि आवश्यकता जनित रास्ता होता तो प्रार्थीया फसल कैसे बोती, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 07 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में गलत होकर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी),
[illegible]

अस्वीकार है। दिनांक 09.01.2023 को प्रार्थीया ने अपनी आराजी संख्या 295, 297, 298 में गेंहु की फसल बो रखी थी ऐसी स्थिति में फसल बोये हुऐ खेतो को हांकने के तथ्य स्वत: मिथ्या मनगढंत तथ्य होना स्थापित कर चुकी है। विपक्षीगण की आराजी संख्या. 1192/286, 286 की उंचाई से प्रार्थीया की आराजी संख्या 297 तीन फीट उचांई की और स्थित है जिससे भी प्रार्थीया के कथन मिथ्या होने के बारे में यह तथ्य विपक्षीगण को बलवान बनाते है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया है उस रूप में वादग्रस्त रास्ता ही स्थित नहीं है इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल न होकर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना प्रार्थीया मिथ्या होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर विपक्षीगण को विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जावें। 'विशेष कथन' यह कि ग्राम पनोतिया की आराजी संख्या 300 व 299 के खातेदार आराजी संख्या 295 व 297 में होते हुऐ प्रार्थीया व आरजी संख्या 299 व 300 के खातेदारान् का संयुक्त आ.चा. 296 का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है इसी प्रकार प्रार्थीया आराजी संख्या 299 व 300 के पश्चिमी पाली के सहारे रास्ते का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। आराजी संख्या 300 में से रास्ता दक्षिण की तरफ अग्रसर होता हुआ 263 की पूर्वी पाली के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर होता हुआ आराजी संख्या 262 की पूर्वी पाली के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर हुआ आराजी सं. 260 में पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होता हुआ आराजी संख्या 258, 255, 254 की दक्षिणी पाली के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होता हुआ आबादी की आरती संख्या 1179/315 की सीसी सडक के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर अग्रसर होते हुऐ प्रार्थीया निरन्तर आबादी की भूमि में होते हुऐ अपने मकान तक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करती चली आ रही है विपक्षीगण के आराजीयात् में कोई रासता नहीं है बल्कि विपक्षीगण के द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते से प्रार्थीया उपयोग उपभोग कर रही है। प्रार्थीया एवं आराजी संख्या 299, 300 के खातेदारान् पूर्वज नोला व प्रार्थीया के पूर्वज गोमा दोनो सगे भाई थे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी रास्ते के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें यह बताया कि प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता कोई उपलब्ध नहीं है तथा निकटतम रास्ता विवादित आराजियात से ही हैं तथा विवादित आराजियात में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 286 रकबा 0.3318 में से 0.0441 हैक्टेयर यानि 98 मीटर लम्बाई एंव 4.50 मीटर चौडाई कुल 441 वर्गमीटर जो पनोतिया से बैदुम्बी रोड पर होकर आबादी एंव सडक के पास स्थित। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी मौजा ग्राम बैदुम्बी में स्थित हैं। उक्त आराजियात पर पूर्व से ही रास्ते के उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया प्रार्थी की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में दिए गए उजरात पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी की आराजी नम्बर 295, 296, 297 का खातेदार का तकार होना ताईद है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट करवाई गई उक्त आराजियात में प्रार्थी को आने–जाने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता ही प्रस्तावित किया गया इसके अतिरिक्त निकटतम कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता रहती हैं जिससे तहसीलदार रेलमगरा की जांच रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं की ग्राम बैठुम्बी की प्रार्थी की आराजी नम्बर 295, 296, 297, में जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 286 रकबा 0.3318 में से 0.0441 हैक्टेयर यानि 98 मीटर लम्बाई एंव 4.50 मीटर चौडाई कुल 441 वर्गमीटर जो पनोतिया से बैठुम्बी रोड पर होकर आबादी एंव सडक के प्रस्तावित की गई। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. के अनुसार दुगुनी राशि प्रार्थी नियमानुसार तहसीलदार रेलमगरा के कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा